अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

उगमा बनाम रामकरण

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 176 / 2022
पेश करने की दिनांक – 16.12.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 2247 / 1, 2248 / 1, 2249 / 1, 2250 / 1, 2251 / 1, 2352 / 1, 2353 / 1, 2946 / 1 रकबा क्रमशः 0.1868, 0.2468, 0.1866, 0.0266, 0.0533, 0.1267, 0.1266, 0.1266 का खातेदार वादी को खसरा नम्बर 2247 / 2, 2248 / 2, 2249 / 2, 2250 / 2, 2251 / 2, 2352 / 2, 2353 / 2, 2946 / 2 रकबा क्रमशः 0. 0932, 0.1232, 0.0934, 0.0134, 0.0267, 0.0633, 0.0634, 0.0634 का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को घोषित किया जाता है। बैंक रहन का इन्द्राज पूर्व अनुसार रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 2 माह 1 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:12:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 176/2022

उनवान

1. उगमा पुत्र पन्ना जाति भांबी निवासी भवानीखेडा, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामकरण पुत्र मुकना जाति भांबी निवासी पंचशील नगर, अजमेर।
2. सुनिल पुत्र सूरज,
3. शान्ति पत्नी सूरज जाति भांबी निवासी ग्राम शास्त्री नगर, पावर हाउस के पास, अजमेर।
4. ओमप्रकाश पुत्र रामदेव जाति भांबी निवासी कालू की ढाणी, अजमेर।
5. मैनेजर स्टेट बैंक आफॅ इंडिया, शाखा नसीराबाद, अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 5 अनुपस्थित
6 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

दिनांक :– 6/5/24

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की सहखातेदारी/सहकाश्तकारी की भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	
570/556	किता 9	1.64	

उक्त आराजी में वादी का 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा व खातेदार भूरा पुत्र हीरा के वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 3 का 1/6 हिस्सा है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे हैं। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी [illegible] का विभाजन किया जावे प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की सह

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:12:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खातेदारी की है व वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में खातेदारी उद्घोषणा नही चाही गयी है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होने के कारण जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन पेश नही होने से तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में कोई साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण के नाम सह खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश किया है। वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा है। आराजी मुतनाजा के विभाजन से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पेश कर सकते है। वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

अतः ग्राम भवानीखेडा के खाता संख्या 570/556 किता 9 रकबा 1.64 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादी व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:12:08 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

उगमा बनाम रामकरण

दावा बाबत :— 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर — 176/2022
पेश करने की दिनांक — 16.12.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम भवानीखेडा के खाता संख्या 570/556 किता 9 रकबा 1.64 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादी व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 6 माह 5 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:12:08 IST
Reason: SelfAttested